

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413]
No. 413]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2008

का.आ. 748(अ).—चूंकि, केन्द्रीय सरकार, अनाज तथा अनाज उत्पादों के निर्यात के विकास और संवर्धन को ध्यान में रखते हुए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की अनुसूची में अनाज को जोड़ना आवश्यक और समीचीन समझती है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है ;

उक्त अनुसूची में,

- (i) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात् :
- “9. अनाज एवं अनाज उत्पाद।”;
- (ii) क्रम सं. “15.” और उससे संबंधित प्रविष्टि को लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 6/3/2008-ईपी (एग्री-V)]

दिनेश शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाएं—

का.आ. 183(अ), दिनांक 15 फरवरी, 1988

का. आ. 739(अ), दिनांक 30 अक्टूबर, 1991

का. आ. 183(अ), दिनांक 5 मार्च, 1992

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2008

S.O. 748(E).—Whereas, the Central Government having regard to the development and promotion of export of cereals and cereal products, considers it necessary and expedient to add cereals to the Schedule to the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 the Central Government hereby makes the following amendment in the Schedule to the said Act ;

In the said Schedule,

- (i) for serial number 9 and entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :
- “9. Cereals and cereal products.”;
- (ii) serial number “15.” and entry relating thereto shall be omitted.

[F. No. 6/3/2008-EP.(Agri-IV)]

DINESH SHARMA, Jt. Secy.

Note:—Notifications issued under Section 3 of the Act—

S. O. 183(E) dated 15 February, 1988

S. O. 739(E) dated 30 October, 1991

S.O. 183(E) dated 5 March, 1992